

कार्यालय पुलिस अधीक्षक : जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
आदेश

थाना चांपा के अपराध क्रं 478/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आर. 836 ईश्वरी राठौर द्वारा घोर लापरवाही एवं अनुशासनहिनता बरतने के फलस्वरूप आर. 836 ईश्वरी राठौर थाना चांपा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केन्द्र जांजगीर सम्बद्ध किया जाता है।

निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।


पुलिस अधीक्षक
जांजगीर-चांपा

क्र./पु.अ./जां.चां./स्टेनो/निलं. 111/26 / 294 /2026
प्रतिलिपि :-

जांजगीर 10 सितंबर 2026

01. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर को सूचनार्थ।
02. अनु.अधि.पुलिस चांपा को सूचनार्थ।
03. रक्षित निरीक्षक को वास्ते ओ.बी.।
04. रक्षित निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. थाना प्रभारी चांपा को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं आदेश की एक प्रति संबंधित आर. को प्रदाय कर पावती अभिस्वीकृति हेतु।
06. स्थापना/वेतन/जिविशा/एसी-1 लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


पुलिस अधीक्षक
जांजगीर-चांपा